कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक– 1046 / 187 / आउशि / बजट / 18 भोपाल, दिनांक 24/5/2018

प्रति

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
नीचे दर्शाये अनुसार,
मध्यप्रदेश।

विषयः–मजदूरी,संविदा–आउटसोर्स एवं आकस्मिकता निधि मद अंतर्गत बजट आबंटन–वित्तीय वर्ष 2018–19

विषयान्तर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को गतवर्ष के व्यय एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में प्रथम चरण में मजदूरी, संविदा–आउटसोर्स, आकस्मिकता निधि अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार राशि का बजट आवंटन स्वीकृत किया जाता है:–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	बजट शीर्ष 44–2202–03–103–0798–0101–	आवंटित राशि
1	शा.महावि.राजगढ़	ईमेल 4379 / 15.5.18	0798–19–001–वेतन 0798–19–003–डी.ए. 0798–19–006–एच.आर.ए. 0798–19–008–अन्य भत्ता	375000 50000 6000 600
2	शा.महावि.भाबरा (आजादनगर) जिला झाबुआ	39 / 4.5.18	0798–11–025 संविदा कर्म. का पारिश्रमिक	224640
3	शा.महावि.थांदला जिला झाबुआ	223 / 13.5.18	0798–11–025 संविदा कर्म.का पारिश्रमिक	72000
4	शा.महावि. पोलायकला जिला शाजापुर	147 / 19.5.18	0798–19–001 वेतन	400000
	कुल योग			**11,28,240**

2. आवंटित राशि का व्यय उपरोक्त उल्लेखित बजट शीर्ष अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट से विकलनीय होगा।
3. संबंधित मद से, राशि आहरण के पूर्व तथा कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने से पूर्व अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कर्मचारी शासन द्वारा जो पद स्वीकृत है, उसी के अनुसार तथा नियमानुसार कार्यरत हो।
4. आहरण करते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
5. जिन शासकीय महाविद्यालय को डी.डी.ओ.कोड आंबटित नहीं है, उनकी राशि संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के डी.डी.ओ.कोड में अपलोड की गई है। अतः संबंधित अग्रणी महावि. के प्राचार्य से संपर्क कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

7. आबंटित राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जावे।

8 किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

9. आबंटित राशि के पूर्ण आहरण/भुगतान उपरांत ही निम्नलिखित प्रारूप में स्पष्ट गणना के साथ मांग प्राप्त होने पर अतिरिक्त आवंटन पर विचार किया जावेगा :—

पद स्वीकृति का आदेश कमांक एवं दिनांक	स्वीकृत पद का प्रकार एवं पदनाम (आकस्किता निधि/कलेक्टर दर/संविदा आउटर्सोस	स्वीकृत पदनाम एवं पद संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	मासिक दर	वर्ष 2018—19 हेतु कुल आवश्यकता (अप्रेल 18 से मार्च 19 तक)	प्राप्त आंबटन 2018—19	व्यय राशि दिनांक	शेष राशि की आवश्यकता	रिमार्क
1	2	3		4	5	6	7	8	9

— स्वीकृत पद का प्रकार एवं नाम के संबंध में पद स्वीकृति आदेश में जो पद स्वीकृत है वह किस प्रकार है, आकस्किता निधि का, कलेक्टर दर अथवा संविदा/आउटर्सोस का पद है, स्पष्ट उल्लेख करें, तथा जो पदनाम स्वीकृत है,उल्लेख करें। यदि पद संविदा/आउटसोर्स का स्वीकृत है तो 0798—11—025 संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक पद अन्तर्गत मांग की जावे। यदि पद कलेक्टर दर का स्वीकृत है तो 0798—12—000 मजदूरी मद अन्तर्गत मांग की जावे। यदि आकस्मिकता निधि अन्तर्गत स्वीकृत है तो आब्जेक्ट 19— आकस्मिकता निधि मद अन्तर्गत मांग की जावे।

10. उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में जानकारी के साथ प्राचार्य के हस्ताक्षर उपरांत जावक कमांक एवं दिनांक के साथ पत्र को स्कैन कर पी.डी.एफ. फाईल के साथ बजट शाखा के ई—मेल **budgethedu@mp.gov.in** पर ई—मेल करें। अपूर्ण एवं अस्पष्ट मांग पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0— 1047 /187/आउशि/बजट/18 भोपाल, दिनांक 24/5/2018

प्रतिलिपि—

1. विशेष सहायक मान.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय
2. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी मध्यप्रदेश ग्वालियर
3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. संबंधित प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अराज. स्थापना शाखा—3 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
7. संबधित कोषालय /उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

.........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश